न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	RCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
07/2020	2020/00009	23.04.2020	18.05.2020

श्री नारायण लाल पिता श्री पुंजिया मेघवाल उचित मुल्य दुकानदार जामली, पीपलखूंट

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, प्रतापगढ़

: – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत

उपस्थिति :–
1. श्री शरद कुमार चिप्पड अधिवक्ता अपीलार्थी
2. पैरोकार सरकार रसद

–: आदेश :–

दिनांक 18.05.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.04.2020 जिला रसद अधिकारी अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवदन किया कि सरपंच एवं उपसरपंच ग्राम पंचायत जामली द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई अवैधानिक शिकायत के आधार पर दिनांक 10.04.2020 को रसद विभाग के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा उचित मुल्य दुकान जामली प्रथम की जांच कार्यवाही अनुसार अपीलार्थी के निजी कृषि की आय गेहुँ 95.64.650 क्विंटल को जप्त करते हुए एक प्रतिवेदन रिपोर्ट दिनांक 12.04.2020 को जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई।

जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी के उचित मुल्य दुकान प्राधिकार पत्र FPS 15189 उचित मुल्य दुकार जामली प्रथम वरदा को जरिये निलबंन आदेश दिनांक 15.04.2020 से अपीलार्थी की बिना युक्ति–युक्त सुनवाई के ही निलम्बित कर दिया तथा अपीलार्थी के जप्तशुदा गेहुँ के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत श्रीमान के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया।

जिससे व्यथिथ होकर यह अपील अपीलार्थी निम्न आधारों पर श्रीमान की सेवामें सादर प्रस्तुत है।

185

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

1. यह कि अपीलार्थी से जप्त गेहुँ किसी भी प्रकार से राजकीय योजनाओं से संबंधित सामग्री नहीं रही है।
2. यह कि शिकायतकर्ता सरपंच एवं उपसरपंच ग्राम पंचायत जामली द्वारा राजनैतिक द्वैशता पूर्वक अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कराई गई है।
3. यह कि वक्त जांच निरीक्षण कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य की दुकान में राजकीय योजनाओं से संबंधित गेहुँ का स्टॉक सही पाया गया था जिसका उल्लेख उनके द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट दिनांक 12.04.2020 में स्पष्ट रूप से किया गया है।
4. यह कि अपीलार्थी एक योग्य उचित मुल्य दुकानदार होकर निर्विवादित रूप से उचित मुल्य दुकान जामली प्रथम का संचालन करता चला आ रहा है साथ ही अपीलार्थी एक कृषक एवं कृषि व्यवसाय से जुड़ा होने के आधार पर अपने निजी आय के गेहुँ का परिवहन कर रहा था जिसे रसद विभाग द्वारा जप्त किया जाकर उक्त आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निलबिंत किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या FPS 15189 उचित मुल्य दुकार जामली प्रथम वरदा तहसील पीपलखुंट को बहाल फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को संसुचित किया गया जिसके आधार पर पैरोकार सरकार स्वयं उपस्थित हो प्रकरण में बहस उभय पक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A के साथ अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी द्वारा परिवहनित गेहुँ की सामग्री का उचित मुल्य दुकान से कोई सरोकार नहीं होकर उसकी व्यक्तिगत फसल रही है तथा उक्त आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाना अन्योचित रहा है।

इसी प्रकृम में पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किये कि किसी भी उचित मुल्य दुकान द्वारा उचित मुल्य दुकान में राज्य सरकार द्वारा वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई सामग्री के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से अन्य सामग्री का संग्रहण करना अथवा परिवहन किया जाना प्रतिषेध होने के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित तौर पर निलंबित किया गया है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी के जप्त गेहुँ की सामग्री राजकीय योजनाओं से संबंध नहीं होने तथा उचित मुल्य दुकान का रिकार्ड गेहुँ समुचित पाये जाने के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6A अयुक्ति–युक्त पाये जाने से निरस्त योग्य पाया गया है जिसका आदेश पृथक से लिखया जाकर सुनाया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकुल होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी का उचित मुल्य प्राधिकार पत्र संख्या FPS 15189 उचित मुल्य दुकार जामली प्रथम वरदा तहसील पीपलखुंट को बहाल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपम जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner